



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में एनडीपीएस एक्ट के आरोपी विनोद को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 05 वर्ष 02 माह 19 दिन का कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2020 में अभियुक्त विनोद पुत्र मुन्ना निवासी ब्रह्माण पारा हनुमान मंदिर के पास थाना व जिला बेमेतारा छत्तीसगढ़ द्वारा 05 किलोग्राम अवैध गांजा की तस्करी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 41/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 04.04.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी-2 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त विनोद को दोषी पाते हुए 05 वर्ष 02 माह 19 दिन के कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



श्री दिनेश कुमार शर्मा एडीजीसी
जनपद बागपत



मुख्य आरक्षी राजकुमार कोर्ट
पैरोकार थाना बडौत

@baghpatpolice

baghpatpolice

Baghpat Police



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बिनौली

दिनांक 04.04.2025

थाना बिनौली पुलिस एवं स्वाट टीम की संयुक्त टीम ने अन्तर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 02 शातिर वाहन चोरों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे/निशादेही से चोरी की हुई 07 मोटरसाईकिल व 01 स्कूटी बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस एवं



स्वाट टीम की संयुक्त टीम द्वारा चैकिंग के दौरान अन्तर्राज्यीय वाहन चोरों का पर्दाफाश करते हुए 02 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे/निशादेही पर चोरी की हुई 07 मोटरसाईकिल व 01 स्कूटी बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 96/25 धारा 318(4)/336(2)/317(5) BNS पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-विजय उर्फ वंश पुत्र सुन्दर निवासी सरुरपुर थाना सरुरपुर जनपद मेरठ।

2-रोहन पुत्र भीम सिंह निवासी ग्राम पथौली थाना सरुरपुर जनपद मेरठ।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि वह दिल्ली एनसीआर में जगह-जगह से मोटरसाईकिल चोरी करते हैं तथा चोरी की हुई मोटरसाईकिल पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर व नम्बर प्लेट हटाकर सस्ते दामों में बेच देते हैं।

बरामदगी का विवरण-

● चोरी की हुई 07 मोटर साईकिल-

1-स्प्लेन्डर बिना नम्बर प्लेट (सम्बन्धित मु0अ0सं0 588/24 थाना फैस III जनपद गौतमबुद्ध नगर।

2-स्प्लेन्डर प्लस नं0 DL7SCE 5799, (थाना ई पुलिस स्टेशन दिल्ली पर मु0अ0सं0 18441 पंजीकृत है। अभियुक्तगण द्वारा DL7SCE 5799 की नम्बर प्लेट फर्जी लगा रखी है)

3- स्प्लेन्डर बिना नम्बर प्लेट (थाना बडौत पर मु0अ0सं0 532/24 पंजीकृत है)

4- पैशन नं0 UP17R 7925

5-पैशन बिना नम्बर प्लेट।

6- स्प्लेण्डर नं0 UP23C2600

7-स्प्लेन्डर नं0 डीएल 3एसएफबी7776 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 135/24 धारा 303(2) बीएनएस थाना सेक्टर 58 जनपद गौतमबुद्धनगर)

8- स्कूटी सुजुकी एक्सस 125 बिना नम्बर प्लेट (दिल्ली कश्मीरी गेट से चोरी है जिसके सम्बन्ध में ई पुलिस स्टेशन में मु0अ0सं0 19322/24 पंजीकृत है

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री शिवदत्त स थाना बिनौली जपनद बागपत ।

2. स्वाट टीम प्रभारी श्री सुर्यदीप सिंह मय स्वाट टीम

3. उ0नि0 श्री रंजीत सिंह थाना बिनौली जपनद बागपत ।

4. है0का0 440 राशिद अली थाना बिनौली जनपद बागपत

5. है0का0 664 शेर सिंह थाना बिनौली जपनद बागपत

6. का0 1024 उपेन्द्र यादव थाना बिनौली जपनद बागपत

7. का0 480 ज्वाला सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत
जनपद बागपत

दिनांक 04.04.2025

बागपत पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1-मोहित पुत्र समुन्द्रपाल निवासी ग्राम मवीकलां, थाना बालैनी जनपद बागपत।
- 2-असफाक पुत्र नसरुद्दीन निवासी ग्राम दरकावदा थाना बिनौली जनपद बागपत



गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-थाना बालैनी पुलिस टीम ।
- 2-थाना बिनौली पुलिस टीम ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना चांदीनगर

दिनांक 04.04.2025

थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 210/24 धारा 103(1)/109/61(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त को मा0 न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा रिमांड पर लेकर अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक अवैध पिस्टल व एक खरपाली को किया बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा थाने के मु.अ.स0 210/24 धारा 103(1) /109 /61(2) BNS से सम्बन्धित अभियुक्त को मा0 न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा रिमांड पर लेकर अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक अवैध पिस्टल व एक खरपाली को बरामद किया गया है।



उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस अभिरक्षा में लिए गए अभियुक्तगण का नाम व पता-

ज्ञानेन्द्र पुत्र कृष्णपाल निवासी ग्राम ढिकौली थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- निशादेही से घटना में प्रयुक्त एक अवैध पिस्टल ।
- एक खरपाली ।

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

- 1-थानाध्यक्ष श्री संजय कुमार थाना चांदीनगर ।
- 2- व0उ0नि0 रजनीश कुमार थाना चांदीनगर ।
3. उ0नि0 श्री सुशील कुमार थाना चांदीनगर
- 4.है0का0 14 अश्वनी कुमार थाना चांदीनगर
- 5-है0का0 490 आशीष कुमार थाना चांदीनगर ।
- 6-का0 1023 गणेश यादव थाना चांदीनगर ।
- 7.का0 883 उमाशंकर थाना चांदीनगर।
- 8.का0 431 वरुण कुमार थाना चांदीनगर ।
- 9.का0 833 राहुल कुमार थाना चांदीनगर ।

आपराधिक इतिहास

ज्ञानेन्द्र पुत्र कृष्णपाल निवासी ग्राम ढिकौली थाना चांदीनगर, जनपद बागपत

- 1.मु0अ0स0 77/01 धारा 302 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत
- 2.मु0अ0स0 87/01 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना चांदीनगर जनपद बागपत
- 3.मु0अ0स0 119/02 धारा 323/324/504 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत
4. मु0अ0स0 125/02 धारा 302 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत
5. मु0अ0स0 119/02 धारा 323/324/504 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत
6. मु0अ0स0 135/02 धारा 2/3 गैगस्टर अधि0 थाना चांदीनगर जनपद बागपत
7. मु0अ0स0 107/06 धारा 302/307 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत
8. मु0अ0स0 108/06 धारा 302/307 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत
9. मु0अ0स0 203/07 धारा 2/3 गैगस्टर अधि0 थाना चांदीनगर जनपद बागपत
10. मु0अ0स0 122/07 धारा 302 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत
11. मु0अ0स0 123/07 धारा 307 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत
12. मु0अ0स0 165/07 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना चांदीनगर जनपद बागपत
13. मु0अ0स0 49/06 धारा ¾ गुण्डा अधि0 थाना चांदीनगर जनपद बागपत
14. मु0अ0स0 173/16 धारा 386/506 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत
15. मु0अ0स0 217/16 धारा 2/3 गैगस्टर अधि0 थाना चांदीनगर जनपद बागपत
16. मु0अ0स0 14/21 धारा 307/34 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत
17. मु0अ0स0 15/21 धारा 323/307/504 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत

18. मु0अ0स0 210/24 धारा 103(1)/109/61(2) बीएनएस थाना चांदीनगर जनपद बागपत
19. मु0अ0स0 1360/05 धारा 392/506 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत
20. मु0अ0स0 1420/05 धारा 147/148/308 भादवि थाना रमाला जनपद बागपत
21. मु0अ0स0 nil/05 धारा 411/414 भादवि व 41/102 सीआरपीसी थाना रमाला जनपद बागपत
22. मु0अ0स0 186/06 धारा 307 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत
23. मु0अ0स0 190/06 धारा 307 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत
24. मु0अ0स0 200/06 धारा 302 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत
25. मु0अ0स0 147/06 धारा 302 भादवि थाना बागपत जनपद बागपत
26. मु0अ0स0 216/06 धारा 302/201 भादवि थाना बागपत जनपद बागपत
27. मु0अ0स0 273/06 धारा 147/148/149/307/302 भादवि थाना कंकरखेड़ा जनपद मेरठ
28. मु0अ0स0 350/07 धारा 302/120बी/34 भादवि थाना मेडिकल जनपद मेरठ
29. मु0अ0स0 57/07 धारा 2/3 गैगस्टर अधि0 थाना मेडिकल जनपद मेरठ
30. मु0अ0स0 541/07 धारा 224/120बी/511/34 भादवि थाना मेडिकल जनपद मेरठ
31. मु0अ0स0 552/07 धारा 306/309/511 भादवि थाना मेडिकल जनपद मेरठ
32. मु0अ0स0 357/07 धारा 307 भादवि थाना मेडिकल जनपद मेरठ
33. मु0अ0स0 358/07 धारा 25/27 आम्स एक्ट थाना मेडिकल जनपद मेरठ
34. मु0अ0स0 40/15 धारा 307 भादवि थाना सेक्टर 49 जनपद गौतमबुद्धनगर
35. मु0अ0स0 42/15 धारा 25/4 आम्स एक्ट थाना सेक्टर 49 जनपद गौतमबुद्धनगर



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बिनौली

दिनांक 04.04.2025

थाना बिनौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार,
जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस .315 बोर
बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 95/25 धारा 3/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

विजय उर्फ बिजार पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम अंगदपुर थाना बिनौली जनपद बागपत ।

बरामदगी विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विकुल कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत
- 2-है0का0 368 गौरव कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत
- 3-का0 1104 चक्रपाल सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनांक 04.04.2025

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 49/25 धारा 140(1)/103(1)/238 बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त को मा0 न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा रिमांड पर लेकर अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिंदा व एक खोखा कारतूस .315 बोर बरामद किया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 49/25 धारा 140(1)/103(1)/238 बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त को मा0 न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा रिमांड पर लेकर अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर, 02 जिंदा कारतूस व एक खोखा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया है ।



उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस अभिरक्षा में लिए गए अभियुक्त का नाम व पता-

1.विपुल पुत्र राजवीर नि0 ग्राम रमाला थाना रमाला जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- निशादेही से घटना में प्रयुक्त एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर, 02 जिंदा कारतूस व एक खोखा कारतूस .315 बोर नाल में फंसा हुआ । (सम्बन्धित मु0अ0सं0 49/25 धारा 140(1)/103(1)/238 बीएनएस थाना रमाला जनपद बागपत।)

आपराधिक इतिहास विपुल पुत्र राजवीर नि० ग्राम रमाला थाना रमाला जनपद बागपत

1. मु०अ०स० 98/11 धारा 147/149/307/506 भा.द.वि. थाना रमाला, बागपत
2. मु०अ०स० 145/12 धारा 147,302,364,201 भा.द.वि. थाना रमाला, बागपत
3. मु०अ०स० 806/14 धारा 452,302,307,328,120बी भा.द.वि. थाना बडौत
4. मु०अ०स० 59/17 धारा 120-B, 201, 302 भा.द.वि. थाना रमाला, बागपत
5. मु०अ०स० 71/17 धारा 25/27 शस्त्र अधि० थाना रमाला, बागपत
6. मु०अ०स० 127/17 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि० थाना रमाला, बागपत
7. मु०अ०स० 49/25 धारा 140(1),103(1),238 बीएनएस थाना रमाला, बागपत

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

- 1- प्र०नि० श्री जितेन्द्र कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2- है०का० 571 रविन्द्र कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3- है०का० 263 मौ०आरिफ थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 4- है०का० 351 पवन नागर थाना रमाला जनपद बागपत ।

